



**न्यायालय : अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।**

पीठासीन अधिकारी : ओ.पी.जैन, आर०ए०एस०

**अपील प्रकरण सं० 56/2018**

1. श्रीमती सीतो बाई पत्नी द्वारका प्रसाद, जाति ओड निवासी गांव 6 ईईए तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज०)

अपीलार्थी

**बनाम**

1. मलकीत सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 ईईए तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज०)
2. बलवीर सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 ईईए तहसील पदपुर जिला श्रीगंगानगर (राज०)
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व पदमपुर।

रेस्पोंडेन्टस

“अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार पदमपुर (भू.अ.) प्रार्थना पत्र बाबत वसीयत दिनांक 06.05.2018 (वास्तविक तिथि 06.05.2015) के आधार पर दिनांक 02.07.2018 के आदेश एवं नामान्तरण संख्या 538 दिनांक 11.07.2018 पारित किया गया को निरस्त करवाने “

उपस्थित :

1. श्री मोहनलाल माहर अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री तेजा सिंह सन्धू अधिवक्ता रेस्पोंडेन्टस

:: आदेश ::

दिनांक :-13.08.2019

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों एवं विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया है। अपीलाण्ट एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के पिता बलदेव सिंह पुत्र केहर सिंह के नाम से वाके चक 5 ईईए तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 75 के किला नम्बर 1 ता 18 कुल 4.554 हैक्टर रकबा खातेदारी दर्ज था। खातेदार बलदेव सिंह ने अपने जीवनकाल में एक पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 20.04.2018 को निष्पादित किया था बैयनामा के रोज से प्रश्नगत कृषि भूमि 4.554 हैक्टेयर में से किला नम्बर 4 व 5 सालम कुल 2.00 बीघा रकबा अपीलार्थीया को सम्भाल दिया गया था। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना विचारण न्यायालय द्वारा नहीं की गई। विधिनुसार प्रश्नगत कृषि भूमि के कब्जे का अन्तरण चाहे खातेदार की मृत्युपरान्त विरास्तन हो अथवा किसी दस्तावेज के आधार पर मौके के कब्जे की जांच उपरान्त पंजीकृत अथवा अपंजीकृत दस्तावेज की सत्यता की जांच कर ही नामान्तरण तस्दीक किया जाना था। परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा अपंजीकृत वसीयत दिनांक 06.05.2015 के आधार पर नामान्तरण तस्दीक किये जाने का आदेश अवैधानिक होने से निरस्ती योग्य है। निर्विवादित रूप से मृतक खातेदार बलदेव सिंह द्वारा दो वसीयत दिनांक 06.05.2015 तथा 12.09.2017 को निष्पादित



अति जिला कलक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर

की थी लेकिन पारिवारिक विवाद के कारण प्रथम वसीयत के निरस्त कर द्वितीय वसीयत दिनांक 12.09.2017 के निष्पादित की थी जबकि कानूनन अन्तिम वसीयत ही लागू की जा सकती है। तथाकथित प्रथम वसीयत संदेहास्पद थी चूंकि प्रथम वसीयत में केवल पुत्रियों की हद तक विस्तारित किया गया था पुत्र के बारे में कुछ नहीं लिखा। द्वितीय एक प्रश्नगत कृषि भूमि 18.00 बीघा में से 10.00 बीघा के ही रेस्पोडेन्ट को दी गई शेष बाबत कुछ उल्लेखित नहीं किया। तृतीय प्रथम वसीयत दिनांक 06.05.2015 में वसीयतकर्ता की उम्र 70 वर्ष अंकित की गई जबकि द्वितीय वसीयत दिनांक 12.09.2017 में 89 वर्ष अंकित की गई। संक्षिप्त कार्यवाही में अपंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण दर्ज नहीं किया जा सकता बल्कि पीड़ित पक्षकार के वसीयत के जटिल कानूनी बिन्दु को साक्ष्य से सिद्ध किये व उपरान्त ही सक्षम न्यायालय से खातेदारी प्राप्त कर सकता है। विशेषतः तब जब प्राथमिक रूप से वसीयत सन्देहास्पद व निर्वादिता हो। अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से बिना विधि प्रक्रिया अपनाये आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थीया को अपीलाधीन आदेश की जानकारी उस समय हुई तब जब बैयनामा के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड के लिये हल्का पटवारी से मिली और दिनांक 25.10.2018 को नकल का आवेदन प्रस्तुत किया जो उसी रोज प्राप्त हुई दिनांक 26.10.2018 से 28.10.2018 तक सार्वजकिन तथा राजकीय अवकाश होने से आज यह अपील बिना किसी देरी के प्रस्तुत की जा रही है। इस हेतु धारा 5 कानून मियाद का अलग से प्रस्तुत है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.07.2018 व इसके आधार पर पारित नामान्तरण संख्या 538 दिनांक 11.07.2018 को निरस्त फरमाया जाकर विधिनुसार पुनः नये आदेश हेतु मामल प्रतिप्रेषित किया जावे।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि बलदेव सिंह अपीलांट का पिता था जिसकी मृत्यु दिनांक 09.05.2018 को हुई। अपीलांट के पिता ने दो वसीयत लिखी थी। प्रथम वसीयत 06.05.2015 का लिखी जो अनरजिस्टर्ड वसीयत थी जो रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम लिखी थी। द्वितीय वसीयत 12.09.2017 को लिखी गयी जो दोनो बेटो के पक्ष में लिखी जिसमें किला नम्बर 1 से 12 अपीलार्थी के नाम व 13 से 18 रेस्पोडेन्ट मलकीत सिंह के नाम लिखे हुए थे। रेस्पोडेन्ट ने द्वितीय वसीयत को छिपाते हुए प्रथम वसीयत के आधार पर इन्तकाल संख्या 538 खुलवाया। जिसमें रेस्पोडेन्ट मलकीत सिंह के 2.530 हैक्टर भूमि व मृतक के पिता बलदेव सिंह के नाम 2.024 हैक्टर भूमि दर्ज है। रेस्पोडेन्ट ने उक्त कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के विपरीत की है। उक्त विवादित इन्तकाल दर्ज करवाने से पूर्व पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट की गई वह केवल रिकॉर्ड बाबत की गई वारिसान बाबत कोई रिपोर्ट नहीं की गई। मृतक के दो बेटे व तीन बेटिया थी। प्रथम वसीयत में वसीयत कर्ता की उम्र 70 वर्ष है जबकि द्वितीय वसीयत जो करीब दो वर्ष बाद ही की गई उसमें मृतक की उम्र 89 वर्ष। द्वितीय वसीयत जो दिनांक 12.09.2017 को लिखी गई जिसमें दोनो भाईयों के फोटो है। इससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट मलकीत सिंह उक्त वसीयत से अनभिज्ञ नहीं है। मृतक बलदेव सिंह द्वारा दिनांक 20.04.2018 को बलदेवसिंह द्वारा बेचान किया गया जिस पर रेस्पोडेन्ट बलवीर सिंह के हस्ताक्षर गवाह के रूप में



अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर

है यदि पहले से कोई वसीयत है तो दूसरी वसीयत होने पर पहली वसीयत स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाती है। मियाद के सम्बन्ध में दफा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन मय शपथ पत्र पेश किया। मियाद के बिन्दु पर अपीलार्थी के अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकते। उसमें विलम्ब के कारण बताये है। अतः अपील स्वीकार की जाकर भरे गये इन्तकाल संख्या 538 को खारिज किया जावे।

अधिवक्ता अपीलान्त ने इस बाबत निम्न नजीरे पेश की है :-

1. आर.आर.डी. 2011 पेज-646-649
2. आर.आर.डी. 2017 पेज- 1355-1358
3. ए.आई.आर 2018 पेज- 350-357 (पैरा 11 से 13)
4. डी.एन.जे.(राज.) 2003(3) पेज-1090-1093

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांत द्वारा अपील इन्तकाल संख्या 538 दिनांक 11.07.2018 के विरुद्ध पेश की है जबकि मूल आदेश 02.07.2018 का है जिससे तहसीलदार ने हमारे नाम आदेश किया एवं उसके आधार पर इन्तकाल भरा गया। उक्त आदेश को कोई चुनौती नहीं दी गयी। इन्तकाल आदेश दिनांक 02.07.2018 की पालना में खोला गया जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। इन्तकाल 11.07.2018 को तहसीलदार के आदेश दिनांक 02.07.2018 के आदेश की पालना में भरा गया है। अपीलांत के पिता की मृत्यु 21.05.2018 को हुई है जबकि अपील 30.10.2018 को की गयी इसलिए अपीलांत द्वारा की गई अपील Time Barred है। अतः अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज होने योग्य है। यदि प्रथम वसीयत संदेहास्पद थी तो अपीलांत द्वारा कोई मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करवाया गया। अपीलार्थी बलवीर सिंह जब विदेश गया उस समय यह तय हुआ था कि 10 बीघा जमीन रेस्पोडेन्ट मलकीत सिंह के नाम व शेष भूमि बलवीर सिंह पुत्र बलदेव सिंह के नाम रहेगी। अपीलार्थी द्वारा बाद में तैयार करवाई गई द्वितीय वसीयत संदेहास्पद है। तहसीलदार गैर पंजीकृत वसीयत के आधार पर इन्तकाल खोलने का आदेश कर सकता है। अतः खारिज फरमाई जावे। अतः अपील अपीलार्थी मय हरजाना खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने इस बाबत निम्न नजीरे पेश की है :-

1. आर.आर.डी. 1992 -पेज-360
2. आर.आर.डी 2018 -पेज- 509

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया तो पाया कि अपीलार्थी द्वारा जो अपील पेश की है वह इन्तकाल संख्या 538 के विरुद्ध पेश की है जबकि मूल आदेश 02.07.2018 का जिसके आधार पर तहसील पदमपुर द्वारा विवादित इन्तकाल संख्या 538 भरा है जिसे अपीलार्थी द्वारा कोई चुनौती नहीं दी है। अपीलार्थी द्वारा अपील में तहसीलदार पदमपुर के आदेश दिनांक 02.07.2018 को चुनौती न देकर इन्तकाल संख्या 538 दिनांक 11.07.2018 को चुनौती दी गयी है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार पदमपुर को भिजवाई जावे एवं रिकॉर्ड लौटाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 13.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ऑ.पी.जेन) 18/8/19  
 अति.अति. जिला कलक्टर  
 (प्रशासन), श्रीगंगानगर